Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्तूबर, 2019

संख्या 88/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(i) सारणी में, –

(क) क्रम संख्या 7 के सामने, खाना (3) में, "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"ऐसी राशि जितने से कि वह हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों";

(ख) क्रम संख्या 9क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले FIFA U–17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबाल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: FIFA U–17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले किसी समारोह से संबंधित हैं ।";

(ग) क्रम संख्या 14 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि में, ''कम" शब्द के पश्चात्, "या के बराबर" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 19क के सामने, खाना (5) में, विद्यमान प्रविष्टि में, "2019" अंकों के स्थान पर, "2020" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के सामने, खाना (5) में, विद्यमान प्रविष्टि में, "2019" अंकों के स्थान पर, "2020" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(च) क्रम संख्या 24क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''24ख	शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनस्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट इत्यादि, नील, गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं '' ;

(छ) क्रम संख्या 29क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''29ख	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अधीन अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं '' ;

(ज) क्रम संख्या 35 के सामने, खाना (3) में, मद (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्‌:–

"(द) बंग्ला सस्य बीमा";

(झ) क्रम संख्या 45 के सामने, खाना (3) में, ''बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" शब्द ओर कोष्ठक जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्‌:–

"ऐसी राशि जितने से कि वह हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों तक है" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ञ) क्रम संख्या 82 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''82क	शीर्ष 9996	FIFA U–17 महिला विश्वस कप, 2020 के अधीन आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं ।''।

2. यह अधिसूचना दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 88/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, under column (3), in the existing entry, for the words and brackets, “twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year”, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

“such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)”;

(b) after serial number 9A and entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9AA	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.”;

(c) against serial number 14, under column (3), in the existing entry, after the word ‘below’, the words ‘or equal to’ shall be inserted;

(d) against serial number 19A, under column (5), in the existing entry, for the figures “2019”, the figures “2020” shall be substituted;

(e) against serial number 19B, under column (5), in the existing entry, for the figures “2019”, the figures “2020” shall be substituted;

(f) after serial number 24A and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24B	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibres such as cotton, flax, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea.	Nil	Nil”;

(g) after serial number 29A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Central Armed Police Forces (under Ministry of Home Affairs) Group Insurance Funds to their members under the Group Insurance Schemes of the concerned Central Armed Police Force.	Nil	Nil";

(h) against serial number 35, under column (3), after item (q), the following item shall be inserted namely:-

"(r) Bangla Shasya Bima";

(i) against serial number 45,under column (3), in the existing entry, for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of special category states) in the preceding financial year", wherever occurring, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)";

(j) after serial number 82 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.